न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

: 13/277

भारमल आयु 55 वर्ष आत्मज श्री भंवर लाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. प्रभूलाल आयु 66 वर्ष आत्मज श्री नाथू जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा हाल निवासी जलोदी खेडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
2. श्रीमती बद्रीबाई पत्नी श्री प्रभूलाल जाति मीणा निवासी जलोदी खेडली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
3. रूप चन्द आयु 36 वर्ष आत्मज श्री श्रवण जाति मीणा निवासी सीन्ता बालिता तहसील व जिला बून्दी ।
4. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार, तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.02.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2013 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील के0 पाटन की कुल किता 07 की आराजी रकबा 3.73 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण ने अपना आधा हिस्सा दिनांक 21 अप्रेल, 1987 को प्रार्थी के पिता के पक्ष में बेचान कर दिया तब से ही प्रार्थी व उनके पिता बहैसियत खातेदार एवं मालिक निरनतर काबिज काश्त चले आ रहे हैं । अप्रार्थी कम 1व 2 ने गलत रूप से बेचान नामे के विरूद्ध कार्य कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत इन्द्राज का लाभ उठाते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से की भूमि अप्रार्थी कम 3 को बेचान कर दी जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था ।

वाद अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी पर प्रार्थी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करे तथा उक्त भूमि पर बलपूर्वक कब्जा तथा उक्त भूमि किसी अन्य को रहन, बेचान एवं अन्तरण नहीं करे ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 22.08.2013 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.08.2013 से व्यथित होकर प्रार्थी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के पिता को बेचान कर कब्जा दे दिया था । इस कारण उक्त भूमि में प्रभूलाल का कोई हक शेष नहीं रहा था इस प्रकार उक्त भूमि को बेचान करने का अधिकार नहीं है । केवल जवाबदावे व राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार पर 1/2 हिस्से का खातेदार प्रभूलाल मानते हुए खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने का निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की है । यदि दौराने वाद उक्त भूमि रहन, बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण आदि कर दी गई तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का प्रथमदृष्टया प्रकरण उसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना ही अपीलान्ट के पक्ष में है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट ने वादग्रस्त आराजी उसके पिता द्वारा क्रय किया जाना बताया है और उक्त भूमि पर अपीलान्ट अपने पिता के समय से ही काबिज होकर काश्त करना बताया गया है । चूँकि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने उक्त भूमि को रेस्पोडेन्ट क्रम 3 को बेचान किया है यदि दौराने वाद उक्त भूमि खुर्द–बुर्द हो गयी तो प्रार्थी अपीलान्ट का अपील प्रस्तुत करना ही व्यर्थ हो जावेगा । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।

9. प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व अधिकारों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण के समय होगा अभी अस्थायी निषेधाज्ञा की स्टेज पर हमे केवल इतना देखना है कि प्रथमदृष्टया प्रकरण किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना किसके पक्ष में हैं । चूँकि उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी में दर्ज है यदि दौराने वाद उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट द्वारा रहन, बेचान अथवा अन्य किसी प्रकार से अन्तरण कर दी तो अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होगी

किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी ऐसी स्थिति में हम रेस्पोडेन्ट को जरिये आज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

उभयपक्ष विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.08.2013 निरस्त किया जाता है । अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान एवं अन्य किसी व्यक्ति को अन्तरण आदि नहीं करे तथा अपीलान्ट के कब्जे दास्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड की ताफैसला वाद यथास्थिति बनाये रखे ।

11. निर्णय आज दिनांक 15.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा